(372)

28

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(55)/नविवि/3/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक 23 MAR 2012

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2011 द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओ को रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु जारी की गयी नीति दिनांक 19.04.2011 की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है।

जारी किये गये निर्देशों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सम्बन्धित संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित भूमि का राज्य व समाज के हित में सही उपयोग सुनिश्चित करने, आवंटन की शर्तों की पालना करवाने एवं शर्तों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे।

सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रकरणों में यह सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि का आवंटन किया गया है उस उद्देश्य के लिए ही भूमि का उपयोग किया जा रहा है। समाज के, जिन वर्गों को उक्त भूमि पर बने संस्थानों (यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों, एवं अन्य जनोपयोगी भवनों) से समाज के लक्षित वर्ग को लाभ प्राप्त हो रहे है यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है।

अतः विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों परिपत्रों में वर्णित शर्तों की अनुपालना एवं समाज के लक्षित वर्गों को देय लाभों की प्राप्ति हो रही है यह सुनिश्चित किया जावे। भूमि के आवंटन हेतु निर्धारित की गयी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल एवं समस्त स्थानीय निकायों द्वारा संस्थाऐं जिन्हें रियायती दर पर भूमि आवंटन की गयी है कि सूची एवं आवंटन की शर्तो के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा सहित), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागो को अविलम्ब प्रेषित की जावे एवं भूमि के उपयोग बाबत् रिपोर्ट भी प्राप्त की जाये।

A

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से

(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक/उच्च/तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास.................... (समस्त)
13. रक्षित पत्रावली

23/3/2012
उप शासन सचिव-तृतीय

(153)